प्रस्तावना

मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के इस प्रतिवेदन में 2015-20 की अवधि के लिए तटीय पारितंत्रों के संरक्षण पर निष्पादन लेखापरीक्षा की टिप्पणियां शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित उदाहरण वे हैं जो 2015-20 की अवधि के लिए नमूना लेखापरीक्षा के दौरान पाए गए और साथ ही वे जो पूर्व के वर्षों में पाए गए थे परंतु पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रस्तुत नहीं किए जा सके थे; जहां आवश्यक था, वहां 2019-20 के बाद की अवधि से संबंधित मामलों को भी शामिल किया गया है।

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।